



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2405]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 27, 2011/पौष 6, 1933

No. 2405]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 27, 2011/PAUSA 6, 1933

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

आदेश

ORDER

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2011

New Delhi, the 27th December, 2011

का.आ. 2866(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के आदेश संख्यांक का.आ. 489(अ), तारीख 30 अप्रैल, 2003 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

S.O. 2866(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 489(E), dated the 30th April, 2003, namely :—

उक्त आदेश के पैरा 1 में "आठ वर्ष और आठ मास की अवधि के लिए" शब्दों के स्थान पर "दस वर्ष और आठ मास की अवधि के लिए" शब्द रखे जाएंगे।

In the said Order, in paragraph 1, for the words "for a period of eight years and eight months", the words "for a period of ten years and eight months" shall be substituted.

[फा. सं. जेड-20018/1/99-सी.पी.ए.]

[F.No. 7-20018/1/99-CPA]

रजनीश दुबे, संयुक्त सचिव

RAJNISH DUBE, Jr. Secy.

टिप्पण :—मूल आदेश भारत के राजपत्र में का.आ. 489(अ), तारीख 30 अप्रैल, 2003 द्वारा प्रकाशित किया गया था और का.आ. 56(अ), तारीख 14 जनवरी, 2005; का.आ. 253(अ), तारीख 19 फरवरी, 2007; का.आ. 1539(अ), तारीख 24 जून, 2008; और का.आ. 3303(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 2009 द्वारा उसमें पश्चात्पूर्ती संशोधन किए गए।

Note :—The Principal Order was published in the Gazette of India vide number S.O. 489(E), dated the 30th April, 2003 and subsequently amended vide S.O. 56(E), dated the 14th January, 2005; S.O. 253(E), dated the 19th February, 2007; S.O. 1539(E), dated the 24th June, 2008; and S.O. 3303(E), dated the 29th December, 2009.